संख्या-15 /2022/592 /002-12-B-2021 T.C.

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष विभाग आयुष अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिये स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2022-231/2022, दिनांक 30.12.2021 एवं संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29.03.2022 के क्रम में आपके पत्र संख्या-नि0हो0/1073-बी/82/2022-23/1032, दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य होम्योपैथिक चिकित्सा के अतर्गत विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिये कुल धनराशि रू0-290.23 लाख (दो करोड नव्वे लाख तेईस हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2022-231/2022, दिनांक 30.12.2021 एवं संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29.03.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृतियां किसी अन्य योजना में शामिल तो नहीं है।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा एवं इसका पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210057890306 (राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	01 वेतन	35,44,000 (रुपये पैंतीस लाख चवालीस हजार मात्र)
2	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	02 मजदूरी	1,67,000 (रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)
3	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	03 मंहगाई भत्ता	13,11,000 (रुपये तेरह लाख ग्यारह हजार मात्र)
4	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	04 यात्रा व्यय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
5	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
6	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	06 अन्य भत्ते	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
7	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	07 मानदेय	7,000 (रुपये सात हजार मात्र)
8	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	08 कार्यालय व्यय	6,67,000 (रुपये छह लाख सड़सठ हजार मात्र)
9	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	09 विद्युत देय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
10	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	10 जलकर / जल प्रभार	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
11	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2,67,000 (रुपये दो लाख सड़सठ हजार मात्र)
12	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	11,67,000 (रुपये ग्यारह लाख सड़सठ हजार मात्र)
13	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	13 टेलीफोन पर व्यय	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
15	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
16	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
17	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
18	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	39 औषधि तथा रसायन	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
19	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	40 औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
20	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	42 अन्य व्यय	73,000 (रुपये तिहत्तर हजार मात्र)
21	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	1,67,000 (रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)
22	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
23	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	45 अवकाश यात्रा व्यय	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
24	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2,67,000 (रुपये दो लाख सड़सठ हजार मात्र)
25	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
26	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	49 चिकित्सा व्यय	1,67,000 (रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)
27	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	51 वर्दी व्यय	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
28	083	2210057890306	55	5,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	मकान किराया भत्ता	(रुपये पांच लाख मात्र)
29	083	2210057890306 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	34,20,000 (रुपये चौंतीस लाख बीस हजार मात्र)
	कुल			**2,90,23,000** **(रुपये दो करोड़ नव्वे लाख तेईस हजार मात्र)**

महायोग	2,90,23,000 (रुपये दो करोड़ नव्वे लाख तेईस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या-15 /2022/592(1)/002-12-B-2021 T.C., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एक हकदारी द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी होम्योपैथी निदेशालय।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।